"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 जून 2020 — ज्येष्ठ 11, शक 1942

### विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4232/डी.94/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

# छत्तीसगढ़ अधिनियम
**(क्रमांक 10 सन् 2020)**

## छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु **अधिनियम**.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 1 दिसम्बर, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क. 24 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 2 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (डड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(डड) **"छोटा व्यापारी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी एक समय पर स्टाक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि उपज बीस क्विंटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि उपज दस क्विंटल से अधिक न रखता हो :

परन्तु वह किसी भी एक दिन में दस क्विंटल धान्य से या तिलहन, दाल तथा तन्तु फसलों को मिलाकर पॉच क्विंटल से अधिक का कय नहीं करेगा।"

3 मूल अधिनियम में, धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:— धारा 10 का संशोधन.

"10. प्रथम मण्डी समिति का गठन होने तक के लिए भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति की नियुक्ति—

(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मण्डी प्रथम बार स्थापित की जाती है तो संचालक, आदेश द्वारा,—

(क) किसी व्यक्ति को भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा,

या

(ख) सात से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली भारसाधक समिति को, पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये नियुक्त करेगा। भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति संचालक के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा/करेगी तथा समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी:

परन्तु यह कि संचालक, किसी भी समय भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी तथा भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, जैसी भी स्थिति हो, अपने पूर्वाधिकारी को उपलब्ध शेष कालावधि तक पद धारण करेगा/करेगी:

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति संचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद को किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक, कलेक्टर द्वारा

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि मण्डी समिति का गठन पूर्वोक्त कालावधि के अवसान होने के पूर्व हो जाता है तो ऐसा भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, नवीन रूप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से अपने पद पर नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन भारसाधक समिति में नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति या समस्त व्यक्ति को, किसी भी समय, संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य मण्डी समिति निधि से ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से मण्डी समिति के सदस्यों को भत्ते देय हों।

(4) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति, उस उप–धारा के अधीन अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, उस तारीख तक पदधारण किए रहेगा, जिस पर नवीन रूप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन नियत की गई है।"

4. मूल अधिनियम में, धारा 17 में, उप–धारा (2) में, खण्ड (उन्नीस) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:– धारा 17 का संशोधन.

"(उन्नीस) मण्डी–प्रागंण में किये गये संव्यवहारों के संबंध में माल के तौलने तथा उसके परिवहन के लिए तुलैयों तथा हम्मालों का बारी–बारी से नियोजन करने की व्यवस्था तथा उनके पारिश्रमिक के निर्धारण की व्यवस्था करेगी:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस उप–धारा के अंतर्गत तौल तथा अन्य कार्य हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक दर अधिसूचित कर सकेगी, जिसका अनुपालन करने हेतु मण्डी समितियॉ आबद्ध होंगी:

परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई भी बात उन हम्मालों के नियोजित किये जाने के लिए लागू नहीं होगी, जो कि व्यापारियों द्वारा मण्डी प्रांगण से अपने गोदामों तक अपने माल के परिवहन के लिए नियोजित किये जायें।"

5. मूल अधिनियम में, धारा 56 में, उप–धारा (3), (4) एवं (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 56 का संशोधन.

"(3) जहां कोई मण्डी समिति अतिष्ठित कर दी गई हो, तो संचालक, आदेश द्वारा, मण्डी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए–

(क) किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा, जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जायेगा, या

(ख) सात से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, जो भारसाधक समिति के नाम से जानी जायेगी,

और अतिष्ठित की गई मण्डी समिति की ऐसी आस्तियॉ तथा दायित्व, जो कि ऐसे अंतरण की तारीख को हो, ऐसे भारसाधक अधिकारी या ऐसी भारसाधक समिति को अंतरित कर सकेगा:

परन्तु यह कि संचालक, किसी भी समय भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी और भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगाः

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, उसके छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति, संचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(4) किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप–धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन भारसाधक समिति में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति या समस्त व्यक्तियों को, किसी भी समय संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(5) उप–धारा (3) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य, मण्डी समिति निधि से ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से मण्डी समिति के सदस्यों को भत्ते देय हों।"

धारा 57 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम में, धारा 57 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"57. **धारा 13 के अधीन विघटन के परिणाम.**–(1) जहां कोई मण्डी समिति धारा 13 की उप–धारा (2) के अधीन विघटित हो जाती है, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:–

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यों और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त उप–धारा के अधीन ऐसी मण्डी समिति के विघटित होने की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये हैं;

(ख) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा समस्त कर्तव्यों का निर्वहन, संचालक के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए–

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जायेगा और जिसे संचालक, आदेश द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे;

या

(दो) सात से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो भारसाधक समिति के नाम से जानी जायेगी और जिसे संचालक, आदेश द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे:

परन्तु यह कि संचालक, किसी भी समय, भारसाधक समिति के स्थान पर भारसाधक अधिकारी और भारसाधक अधिकारी के स्थान पर भारसाधक समिति नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु यह और कि भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति, संचालक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्त नहीं कर दी जाती है, तब

तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

(ग) मण्डी समिति में निहित समस्त संपत्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति में न्यासतः निहित हो जाएगी।

(2) किसी भी भारसाधक अधिकारी को या उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (दो) के अधीन भारसाधक समिति में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति या समस्त व्यक्तियों को किसी भी समय संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा मानदेय, जो कि शासन द्वारा नियत किया जाये, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा तथा भारसाधक समिति का प्रत्येक सदस्य, मण्डी समिति निधि से ऐसे दर से भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर से मण्डी समिति के सदस्यों को भत्ते देय हों।

(4) यथा पुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी या भारसाधक समिति अपने पद पर नहीं रहेगा/रहेगी।"

**अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020**

**क्रमांक 4232/डी.94/21-अ/प्रारू./छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 01-06-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.**

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,**
**उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.**

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2020)

## THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020

**An Act further** to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

**Short title, extent and commencement.**

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.

(2) It shall extend to whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with retrospective effect from the date of 1st December, 2019.

**Amendment of Section 2.**

2. In Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in sub-section (1), for clause (mm), the following shall be substituted, namely : -

"(mm) "**Petty trader**" means a person who does not hold more than twenty quintals of various kinds of notified agricultural produce or ten quintals of any single notified agricultural produce in stock at a time :

Provided that he , shall not purchase more than ten quintals of

cereals or five quintals including of oilseeds, pulses and fibre crops, in a day;"

**Amendment of Section 10.** 3. In the Principal Act, for Section 10, the following shall be substituted, namely:-

"**10. Appointment of officer-in-charge or in-charge Committee pending constitution of first Market Committee.–**

(1) When a market is established for the first time under this Act, the Director shall, by an order,-

(a) appoint a person to be the officer-in-charge,

or

(b)appoint a in-charge committee not exceeding seven person, for a period of not exceeding five years. The officer-in-charge or in-charge committee shall exercise all the powers and perform all the duties of the Market Committee under this Act, subject to the control of the Director:

Provided that the Director may at any time appoint an officer–in-charge in place of in-charge committee and in-charge committee in place of the Officer

in-charge and the in-charge officer or in-charge committee so appointed, as the case may be, shall hold office for the remaining period available to his predecessor:

Provided further that in the event of death, resignation, leave or suspension of the officer-in-charge a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as possible by appointment of a person thereto, by the Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as an officer-in-charge:

Provided further also that, if the Market Committee is constituted before the expiration of the aforesaid period the officer-in-charge or the in-charge committee shall cease to hold office from the date of appointment for the first general meeting of the newly constituted Market Committee.

(2) Any officer-in-charge appointed under sub-section (1) or any person or all

person appointed to in-charge committee under clause (b) of sub-section (1), may at any time be removed by the Director, who shall have power to appoint another person or another persons in his place, as the case may be.

(3) Any person appointed as officer-in-charge under sub-section (1) shall receive from the Market Committee Fund for his services such Honorarium as may be fixed by the Government, and each member of the in-charge committee shall be entitled to receive allowances from the market committee fund at such rate as the allowances payable to the members of the Mandi Committee.

(4) The officer-in-charge or the in-charge committee appointed under sub-section (1) shall, notwithstanding the expiration of his term thereunder, continue to hold office till the date appointed for the first general meeting under sub-section (1) of Section 13 of the newly constituted Market Committee."

**Amendment of Section 17.**

4. In the Principal Act, in Section 17, in sub-section (2), for clause (xix), the following shall be substituted, namely:-

"(xix) make arrangements for employing by rotation, weighmen and hammals for weighing and transporting of goods in respect of transaction held in the market yard and make arrangements for fixing their wages:

Provided that the State Government may, under this sub-section notify minimum wages for weighment and other works, which the Mandi Committees shall be bound to comply:

Provided further that nothing in this clause shall apply for employing hammals by traders for transporting their goods from the market yard to their godowns."

5. In Principal Act, in Section 56, for sub-section (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 56.**

"(3) When a Market Committee has been superseded, the Director may by an order-

(a) appoint a person to be called the officer-in-charge, or

(b) appoint a committee consisting of not more than seven persons to be called the in-charge committee,

To carry out the functions and exercise

the power of the Market Committee and transfer to such officer-in-charge or in-charge committee the assets and liabilities of the superseded Market Committee as on the date of such transfer:

Provided that the Director may at any time appoint an officer-in-charge in place of in-charge committee and in-charge committee in place of the officer-in-charge:

Provided further that in the event of death, resignation, leave or suspension of the officer-in-charge, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as possible by appointment of a person thereto, by the Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as an officer-in-charge.

(4) Any officer-in-charge or any person or all person appointed to in-charge committee under clause (b) of sub-section (3) may at any time be removed by the Director, who shall have power to appoint another person or another persons in his place, as the case may be.

(5) Any person appointed as officer-in-charge under sub-section (3) shall receive from the Market Committee Fund for his services such Honorarium as may be fixed by the Government, and each member of the in-charge committee shall be entitled to receive allowances from the market committee fund at such rate as the allowances payable to the members of the Mandi Committee."

6. In the Principal Act, for Section 57, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 57.**

"**57.Consequences of dissolution under Section 13**. – (1) Where a Market committee stands dissolved under sub-section (2) of Section 13, the following consequences shall ensue namely :-

(a) all the members as well as the Chairman and Vice-Chairman of the Market Committee shall, as from the date of dissolution of such Market Committee under the said sub-section, be deemed to have vacated their offices;

(b) all powers and duties of the Market Committee under this Act, shall be exercised and performed subject to the control of the Director,-

(i) by a person to be called the officer-in-charge as the Director may, by order appoint in that behalf,

(ii) by a committee consisting of not more than seven persons to be called the in-charge committee as the Director may, by order appoint in that behalf:

Provided that the Director may at any time appoint an officer-in-charge in place of in-charge committee and in-charge committee in place of the officer-in-charge:

Provided further that in the event of death, resignation, leave or suspension of the officer-in-charge a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled, as soon as possible by appointment of a person thereto by the Director and until such appointment is made a person nominated by the Collector shall act as an officer-in-charge;

(c) all property vested in the Market Committee shall vest in the officer-in-charge or the in-charge Committee in trust for the purposes of this Act.

(2) Any officer-in-charge or any person or all persons appointed to in-charge committee under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) may at any time be removed by the Director who shall have power to appoint another person or another persons as the case may be.

(3) Any person appointed as officer-in-charge under sub-section (1) shall receive from the Market Committee Fund for his services such Honorarium as may be fixed by the Government, and each member of the in-charge committee shall be entitled to receive allowances from the market committee fund at such rate as the allowances payable to the members of the Mandi Committee.

(4) The officer-in-charge or the in-charge committee shall cease to hold office on the date appointed for the first general meeting of the Market Committee as reconstituted."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.